

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (टोडा)

(बाबड़ी स्टैण्ड से नीमकाथाना सड़क धांधेला जोहड़ा तक)

किस्म मुकदमा :- गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132

मु0नं0 625 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1234

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9-2025	<p>पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/1050 दिनांक 19.06.2025 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम टोडा पटवार मण्डल टोडा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 0.13 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.0032 हैक्ट., खसरा नम्बर 111 रकबा 0.43 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.0240 हैक्ट., खसरा नम्बर 112 रकबा 0.29 हैक्ट. किस्म गै. मु.पटपड़ मे से 0.0208 हैक्ट., खसरा नम्बर 113 रकबा 0.30 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.0224 हैक्ट., खसरा नम्बर 121 रकबा 0.54 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.0580 हैक्ट., खसरा नम्बर 126 रकबा 0.35 हैक्ट. किस्म गै.मु. पटपड़ मे से 0.0432 हैक्ट., खसरा नम्बर 127 रकबा 0.18 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.0180 हैक्ट., खसरा नम्बर 130 रकबा 1.40 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.0660 हैक्ट., खसरा नम्बर 659 रकबा 0.16 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.0290 हैक्ट., खसरा नम्बर 657 रकबा 0.57 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.0360 हैक्ट. का कुल 04 मीटर चौडा तथा 820 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता बाबड़ी स्टैण्ड से नीमकाथाना सड़क धांधेला जोहड़ा तक का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत टोडा का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्रस्ताव के साथ जमाबन्दी, ट्रैस नक्शा, फोटोग्राफ व गुगल नक्शा संलग्न है। प्रस्तावित</p>	



[Handwritten Signature]


उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)



प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै०मु०रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)